तेन्दूपत्ता के सम्बंध में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14.02.2013

****

वर्ष 2013 के तेन्दूपत्ता के विक्रय में अनियमितता तथा संग्राहकों की उपेक्षा के आरोप निराधार

वर्ष 2013 के तेन्दूपत्ते के व्यापार के सम्बंध में दिनांक 13.02.2013 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के सम्बंध में वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले अनुमानित 16.44 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन हेतु अन्य राज्यों एवं विगत वर्षों की भॉति ही प्रथम चक्र की निविदा दिनांक 10.01.2013 को, द्वितीय चक्र की निविदा दिनांक 29.01.2013 को एवं तृतीय चक्र की निविदा दिनांक 11.02.2013 को आमंत्रित की गयी थी । प्रथम दो चक्र की निविदाओं में प्राप्त ऑफरों के आधार पर प्रदेश के 616 लाटों की 10.68 लाख मानक बोरा निर्वर्तन किया गया, जिसमें औसत विक्रय मूल्य रूपये 2796/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुआ । तृतीय चक्र की निविदा में प्राप्त दरों का परीक्षण अभी किया जा रहा है ।

पूरे देश में वर्ष 2012 में तेन्दूपत्ते की कमी होने के कारण व्यापारियों द्वारा पत्ता क्रय करने में बहुत अधिक रूचि ली गयी थी, परन्तु वर्ष 2012 में पूरे राष्ट्र में तेन्दूपत्ते का लक्ष्य की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन होने से बीड़ी निर्माताओं के पास अभी पर्याप्त मात्रा में तेन्दूपत्ता उपलब्ध होने से इस वर्ष पत्ते की माँग कम है, फलस्वरूप तेन्दूपत्ता उत्पादन करने वाले सभी राज्यों जैसे- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, महाराष्ट्र आदि में तेन्दूपत्ते के क्रेताओं द्वारा वर्ष 2012 की तुलना में बहुत कम रूचि ली जा रही है ।

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012 में 3772/- रूपये प्रति मानक बोरा की औसत विक्रय मूल्य पर तेन्दूपत्ते का विक्रय किया गया था, परन्तु इस वर्ष तेन्दूपत्ते की माँग कम होने का प्रभाव प्रदेश पर भी पड़ा है, फलस्वरूप अभी तक मात्र 64.96 प्रतिशत तेन्दूपत्ता रूपये 2796/- प्रति मानक बोरा के औसत विक्रय मूल्य पर विक्रय हुआ ।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2009, 2010, 2011 तथा 2012 का औसत विक्रय मूल्य रूपये 1748, रूपये 2170, रूपये 2619 तथा रूपये 3772 प्रति मानक बोरा रहा । वर्ष 2012 में बाजार में स्टाक की कमी से वर्ष 2011 की अपेक्षा विक्रय मूल्य में 44 प्रतिशत की वृध्दि हुई । अभी भी वर्ष 2013 में प्राप्त दर वर्ष 2011 से अधिक है ।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 में रूपये 2433/- प्रति मानक बोरा की औसत दर से पत्ता विक्रय किया गया था, जबकि वर्ष 2013 में दो चक्र में रूपये 1977/- प्रति मानक बोरा की दर से राज्य में लगभग 66.38 प्रतिशत पत्ता विक्रय किया गया । आन्ध्रप्रदेश में 339 इकाइयों में से मात्र 150 इकाइयों का विक्रय भी पिछले वर्ष से लगभग 30 प्रतिशत कम विक्रय मूल्य पर हुआ ।

महाराष्ट्र में दिनांक 31.01.2013, 04.02.2013 तथा 06.02.2013 को तीन चक्र की निविदाएँ आमंत्रित की गयी थी, परन्तु तेन्दूपत्ते की माँग न होने के कारण व्यापारियों द्वारा तीनों निविदाओं का बहिष्कार किया गया, फलस्वरूप महराष्ट्र राज्य में अभी तक तेन्दूपत्ता का बिल्कुल ही निर्वर्तन नहीं हो सका ।

तेन्दूपत्ता व्यापार में अत्यधिक चढ़ाव आने के उपरान्त गिरावट आती है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2006 में तेन्दूपत्ते की औसत विक्रय दर रूपये 942 प्रति मानक बोरा से बढ़कर वर्ष 2007 में रूपये 1894 हो गयी थी । यह दर वर्ष 2008 में प्राप्त औसत दर रूपये 1434 एवं वर्ष 2009 में प्राप्त दर रूपये 1748 से भी अधिक थी । यही स्थिति वर्ष 2013 में वर्ष 2012 के बाद हुई है, क्योंकि वर्ष 2012 में प्राप्त दर वर्ष 2011 से बहुत अधिक ज्यादा थी ।

तेन्दूपत्ते की निविदाओं से पत्ते के विक्रय पर निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव भी सदस्य होते हैं । लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक, पत्ते के विक्रय पर निर्णय नहीं करते । तेन्दूपत्ते की निविदा में अवरोध मूल्य की घोषणा अविभाजित मध्यप्रदेश में नहीं की जाती थी, वही प्रक्रिया अभी भी लागू है । वैसे भी अधिक अवरोध मूल्य निर्धारण करने से अधिक विक्रय मूल्य नहीं मिलता । विक्रय मूल्य बाजार में माँग एवं पूर्ति के आधार पर मिलता है ।

जहाँ तक नीलाम से तेन्दूपत्त का विक्रय का प्रश्न है, समस्त राज्यों में अग्रिम विक्रय प्रारंभिक दौर में निविदा के माध्यम से ही किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में तो वर्ष 2013 में Online निविदा आमंत्रित की गई । देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसने कि तेन्दूपत्ते के विक्रय की Online निविदा आमंत्रित की गई । **अतः निविदाओं में किसी प्रकार की अनियमितता की बात निराधार है ।**

संग्रहण वर्ष 2003 में तेन्दूपत्ते के संग्रहण दर मात्र रूपये 450/- प्रति मानक बोरा थी, जो कि वर्ष 2012 में बढ़कर रूपये 1100/- प्रति मानक बोरा हो गयी । संग्रहण वर्ष 2003 का रूपये 33.11 करोड़ का बोनस तेन्दूपत्ता संग्राहकों में वितरित किया गया था, जबकि वर्ष 2011 का लगभग रूपये 158/- करोड़ का बोनस वितरित किया जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि तेन्दूपत्ता व्यापार का कार्य लघु वनोपज संघ के द्वारा शासन के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी से सम्पन्न किया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की गयी है । मध्यप्रदेश के समय में तथा छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 तक मात्र एक समूह बीमा योजना लागू थी, जिसमें संग्राहक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रूपये 3500/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 12500/- एवं दुर्घटना जनित मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 25000/- की राशि का भुगतान किया जाता था ।

छत्तीसगढ़ राज्य के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के तहत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छैमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है ।

पुरानी समूह बीमा योजना यथावत् परिवार के अन्य सदस्यों के लिए लागू है । इसके अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के मुखिया के अतिरिक्त सदस्यों के लिए **अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना** भी लागू की गयी है । इस योजना के तहत संग्राहक की मृत्यु होने पर रूपये 4000/-, का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है । इस प्रकार पूर्व में संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर जो राशि रूपये 3500/- थी वह बढ़कर रूपये 7500/- हो गयी है ।

मेघावी छात्र/छात्रा पुरस्कर योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जा रहा है ।

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी **व्यवसायिक कोर्स** जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि उपलब्ध करायी जा रही है ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु **गैर व्यवसायिक स्नातक शिक्षा** हेतु छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के ऐसे छात्र-छात्राओं जो किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्नातक (गैर व्यवसायिक कोर्स) जैसे बी.ए. बी.काम., बी. एस.सी. आदि में प्रवेश लिया हो, विद्यार्थी को कोर्स के प्रथम वर्ष में रूपये 5000 एवं द्वितीय वर्ष में रूपये 4000 तथा तृतीय वर्ष में रूपये 3000 अर्थात् 03 वर्षो में कुल 12,000/- की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही है ।

उक्त योजनाओं के लागू होने से प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरपूर अवसर मिल रहा है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2006 से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका/चप्पल उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2013 में प्रत्येक संग्राहक परिवार के एक एक सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका के अतिरिक्त एक महिला सदस्य को एक साड़ी प्रदाय करने की योजना है ।

इस प्रकार वर्तमान शासन के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में अनेक योजनाएँ लागू है । इतनी योजनाएँ अन्य किसी राज्य में नहीं है । अतः तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हितों की वर्तमान सरकार द्वारा उपेक्षा की बात निराधार है ।